स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण रिपोर्ट

मत

हमने छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) की एकल वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया है। इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण के सारांश सहित 31 मार्च 2019 तक के तुलनपत्रक (बैलेंस शीट), लाभ और हानि संबंधी विवरण, शेयर में परिवर्तन संबंधी विवरण और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के मामलों की, इसकी हानि, शेयरों में परिवर्तन और समाप्त हुए वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह की स्थिति सहित वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देता है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (दस) के तहत स्पष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुरूप लेखा परीक्षण कार्य पूरा किया। इन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का हमारी रिपोर्ट में **वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में लेखाकार के दायित्व** खंड में वर्णन किया गया है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से जारी नीति संहिता तथा अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के लिए नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी कम्पनी एक स्वतंत्र कम्पनी है तथा हमने अपने अन्य नीतिगत दायित्वों को इन अपेक्षाओं और नीति सहिता के अनुरूप पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट से अलग सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल सूचनाएं आती हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचनाएं एकल वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षण के दौरान हमें प्राप्त जानकारी के साथ असंगत हैं या फिर यह कोई गलत बयानी है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचनाओं के संदर्भ में गलत बयानी हुई है, तो हमें अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को दर्ज करना होता है। इस संदर्भ में रिपोर्ट करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मामले कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देने, उसके वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के शेयरों और नकद प्रवाह में बदलाव से संबंधित हैं। इन दायित्वों में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का प्रबंधन और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम; समुचित लेखांकन नीतियों का चुनाव और लागू करना;

तर्कसम्मत और ठोस निर्णय और आकलन; तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, उनका क्रियान्वयन और प्रबंधन भी शामिल है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल कम्पनी के जारी रहने की क्षमता के आकलन और जारी रखे जाने की क्षमता को स्पष्ट करने तथा लेखा परीक्षण के लिए इसे आधार बनाने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कम्पनी को समाप्त करना या उसका संचालन बंद करना न चाहता हो या उसके पास ऐसा करने के सिवाए कोई अन्य विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि एकल वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस

बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा। इस प्रकार की गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेगत निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम भूल के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाज़ी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिता क्या है।

- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, रूपरेखा और विषयवस्तु का मूल्यांकन और इस बात का भी आकलन करना कि वित्तीय

विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं।

हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण सबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तथा सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में लागू होने की सीमा तक, अनुलग्नक-1 में विवरणी दी है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुरूप हम कम्पनी के उस रिकॉर्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमने नियंत्रक और महालेखा

परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-2 में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर उचित पाया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तकें कम्पनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, लाभ हानि विवरण, शेयर और नकदी प्रवाह में परिवर्तन विवरणी संबंधी मामले लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए समाधान के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, कम्पनी लेखा नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में हैं।

ङ) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार की ओर से पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप, निदेशक की अयोग्यता के बारे में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-ए में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मुद्दों पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने लेखा परीक्षणाधीन अवधि के दौरान अपने निर्देशकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है, इसीलिए यह रिपोर्टिंग-अपेक्षा कि क्या भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों से अधिक है, कम्पनी पर लागू नहीं होती।

ज) कम्पनी लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य बातें हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार हैं-

i. कम्पनी का कोई भी कानूनी मामला लम्बित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सके।

ii. कम्पनी के पास डेरिव्हेटिव्स और अनुबंध सहित लम्बी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी भौतिक हानि की आशंका हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कम्पनी द्‌वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते

लूथरा एंड लूथरा कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002081एन

सीए नीलेश मेहता

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093847

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक।

हम रिपोर्ट करते हैं किः-

1. कम्पनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के सिवाए अन्य कोई स्थाई परिसम्पत्तियां नहीं हैं। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ-3 की धारा(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
2. कम्पनी के पास कोई **इन्वेंटरी** नहीं है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।
4. हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने किसी निदेशक की ओर से, जैसा कि अधिनियम की धारा 185 के तहत उल्लिखित है, कोई ऋण गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दी है। कम्पनी ने दिए गए ऋणों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों या धारा 73 से 76 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत आम लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की किसी भी गतिविधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत रिकॉर्ड की रख-रखाव लागत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (vi) लागू नहीं होता।

7. (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य सांविधिक बकाया समुचित प्राधिकरणों को नियमित रूप से जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि का कोई अविवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को बकाया आय कर, सेवा कर/वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क

और मूल्य संवर्धित कर के मद में भुगतान योग्य कोई भी विवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक, या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (viii) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

9. कम्पनी ने शुरुआती पब्लिक आफर या अगले पब्लिक आफर (ऋण सहित) और सावधि ऋण के जरिए धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

10. लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया या इसकी सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने इस अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 197, अनुसूची v के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार कोई प्रबंधन पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है/मुहैया नहीं कराया है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए चूक के बारे में आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अपने सामान्य कारोबारी क्रम में दर्ज किया है। इसीलिए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। हालांकि इस प्रकार के लेनदेन का ब्यौरा व्यवहार्य लेखांकन मानकों की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरण में स्पष्ट किया गया है।

14. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आवंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ लेनदेन नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

16. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कृते

लूथरा एंड लूथरा कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002081एन

सीए नीलेश मेहता

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093847

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

अनुलग्नक-II

छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक को जारी निर्देशों का प्रत्युत्तर

क्रम सं	विवरण	उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास सूचना	हां,

	प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	
2	क्या कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता की बकाया राशि चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या छूट/माफी/ब्याज माफी दी गई है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	ऋण माफी/छूट या ब्याज में माफी/छूट का कोई मामला नहीं है। इसीलिए यह खंड लागू नहीं होता।
3	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त	केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए कोई भी निधि

	या प्राप्त होने वाली निधि का, इसकी शर्तों और नियमों के अनुसार समुचित लेखांकन/ उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।	प्राप्त नहीं की गई है/न प्राप्त की जाने वाली है। इसलिए ये खंड व्यवहार्य नहीं है।

कृते

लूथरा एंड लूथरा कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002081एन

सीए नीलेश मेहता

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093847

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व:

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते

हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'परामर्श टिप्पणी' (''गाइडेंस नोट'') और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी

किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आकलन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ:

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की

रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय:

हमारी राय में कम्पनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 तक कारगर ढंग से लागू थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित थे।

कृते

लूथरा एंड लूथरा कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002081एन

सीए नीलेश मेहता

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093847

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई अवधि के लिए छत्तीसगढ़ सरगूजा पॉवर लिमिटेड के वार्षिक लेखे का लेखा परीक्षण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुरूप किया है।

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड					
सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)					
31 मार्च 2019 को तुलनपत्रक					
					(₹ सौ में)
	विवरण	**टिप्पणी सं**	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
(I)	**परिसम्पत्तियां**				
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**				
	क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरअ	4	-	-	547.55
	(ख)जारी पूंजीगत कार्य	5	-	-	-
	कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियां		**-**	**-**	**547.55**
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) नकदी और नकदी समतुल्य	6	4,126.04	4,126.04	126.04
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7	2,184,764.55	2,184,764.55	2,283,501.10
	(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	8	-	-	6,019,149.52
	कुल चालू परिसम्पत्तियां		**2,188,890.59**	**2,188,890.59**	**8,302,776.66**
	कुल परिसम्पत्तियां		**2,188,890.59**	**2,188,890.59**	**8,303,324.21**
(II)	**इक्विटी और देयताएं**				
(1)	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9			

			5,000.00	5,000.00	5,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	10	(242.19)	(242.19)	(242.19)
	कुल इक्विटी		**4,757.82**	**4,757.81**	**4,757.81**
(2)	**देयताएं**				
(1)	**चालू देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) उधारी	11	2,180,687.24	2,183,210.90	8,254,142.27
	(ii अन्य वित्तीय देयताएं	12	3,347.54	843.75	820.31
	(ख) अन्य चालू देयताएं	13	98.00	78.13	43,603.82
	कुल चालू देयताएं		2,184,132.78	2,184,132.78	8,298,566.40
	कुल इक्विटी और देयताएं		**2,188,890.59**	**2,188,890.59**	**8,303,324.21**
			-	-	-
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-3	0.00	(0.00)	-
	वित्तीय विवरणों के साथ लगी टिप्प्पणियां देखें	1 to 36			
	कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से				
	योगेश जुनेजा	**आलोक सूद**		**नवीन भूषण गुप्ता**	
	निदेशक	**निदेशक**		**अध्यक्ष**	
	DIN:02913155	**DIN:02394376**		**DIN:00530741**	

	इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार				
	कृते				
	लूथरा एंड लूथरा एलएलपी				
	(सनदी लेखाकार)				
	कम्पनी पंजीकरण सं : 002081N/N500092				
	निलेश मेहता				
	साझेदार				
	सदस्यता सं : 093847				
	स्थान : नई दिल्ली				
	दिनांक :				

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड

सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

(₹ सौ में)

विवरण	**टिप्पणी सं**	**31 मार्च 2019 को समाप्त**	**31 मार्च 2018 को समाप्त**
परिचालन आय		-	-
अन्य आय		-	-
कुल आय (I)		-	-
व्यय		-	-
अन्य व्यय		-	-
कुल व्यय (II)		-	-
कर पूर्व लाभ (I- II =III)		-	-
कर व्यय : (IV)			
चालू कर			
बकाया कर			
शुद्ध लाभ कर (III - IV = V) के बाद		-	-
अन्य व्यापक आय (VI)			

अवधि (V + VI =VII) के लिए कुल व्यापक आय		**-**	**-**
प्रति इक्विटी शेयर आय : (VIII) रुपये (प्रत्येक 10 रु. मूल्य पर) प्राथमिक और तनुकृत)			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1-3

वित्तीय विवरणों के साथ लगी टिप्पणियां देखें 1 to 36

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

योगेश जुनेजा	**आलोक सूद**	**नवीन भूषण गुप्ता**
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
DIN:02913155	**DIN:02394376**	**DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते

लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

कम्पनी पंजीकरण सं : 002081N/N500092

निलेश मेहता

साझेदार

सदस्यता सं : 093847

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड

सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ सौ में)

	विवरण	को समाप्त 31 मार्च 2019	को समाप्त 31 मार्च 2018
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	-	-
	समायोजन		
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		
	कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन :		
	-अन्य गैर मौजूदा वित्तीय देयताओं में बढ़ोतरी/(कमी)	-	-
	-अन्य मौजूदा देयताओं में वृद्धि/(कमी)	2,503.79	23.44
	- अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)	19.87	(43,525.69)
	- अन्य गैर मौजूदा ऋण में वृद्धि/(कमी)	-	6,019,149.52
	- अन्य गैर मौजूदा वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)	-	98,736.55
	परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	2,523.66	6,074,383.82
	परिचालन गतिविधियों से शुद्द नकदी	**2,523.66**	**6,074,383.82**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	जारी पूंजीगत कार्य में वृद्धि	-	-
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**-**	**-**

ग.	**वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह :**		
	उधारी से किए गए कार्य	(2,523.66)	(6,070,931.37)
	पीपीई में बदलाव	-	547.55
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**(2,523.66)**	**(6,070,383.82)**
	नकदी और नकदी समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि और (कमी)	0.00	4,000.00
	नकदी और नकदी समतुल्य आरंभिक शेष	4,126.04	126.04
	नकदी और नकदी समतुल्य समापन शेष	4,126.04	4,126.04
	शामिल हैं :		
	चालू खाते में बैंक शेष	4126.04	4126.04

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

योगेश जुनेजा **आलोक सूद** **नवीन भूषण गुप्ता**

निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

DIN:02913155 **DIN:02394376**

DIN:00530741

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा ओर से

लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

कम्पनी पंजीकरण सं : 002081N/N500092

निलेश मेहता

साझेदार

सदस्यता संख्या : 093847

स्थानः नईदिल्ली

दिनांक

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	
क. इक्विटी शेयर पूंजी।	
	(₹ सौ में)
विवरण	**राशि**
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2018 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 को अधिशेष	5,000.00
ख. अन्य इक्विटी	
	(₹ सौ में)
विवरण	**राशि**
<u>प्रतिधारित आय</u>	
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	(242.19)
वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए कुल व्यापक आय (FY 2017-2018)	-
31 मार्च 2018 को अधिशेष	(242.19)
वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19) के लिए कुल व्यापक आय	-
31 मार्च 2019 को अधिशेष	(242.19)
कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से	

योगेश जुनेजा **आलोक सूद** **नवीन भूषण गुप्ता**	
निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**	
DIN:02913155 **DIN:02394376** **DIN:00530741**	
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार	
कृते तथा ओर से	
लूथरा एंड लूथरा एलएलपी	
(सनदी लेखाकार)	
कम्पनी पंजीकरण सं : 002081N/N500092	
निलेश मेहता	
साझेदार	
सदस्यता सं : 093847	
स्थान : नई दिल्ली	
दिनांक :	

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड

(सीआईएन :यू40102डीएल2006जीओआई146111)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीयविवरणों से संबंधित टिप्पणियां

1 कार्पोरेट जानकारी

यह कम्पनी, पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कम्पनी है। इसकी शुरुआत मैसर्स अकलतारा पावर लिमिटेड के नाम से 10 फरवरी 2006 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। 10 दिसम्बर 2009 को कम्पनी का नाम बदल कर छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (मौजूदा नाम) कर दिया गया। इसे व्यापार शुरु करने का प्रमाणपत्र 25 अप्रैल 2008 को जारी किया गया था। यह कम्पनी छत्तीसगढ़ में 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों, जैसे पर्यावरण, वन इत्याति सहित वैधानिक मंजूरी में सुविधा के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज व्हीकल) है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पत्र संख्या 1312/आर-10/2015/13/2/ईडी/यूएमपीपी दिनांक 5, अप्रैल 2016 के द्वारा बिजली मंत्रालय को परियोजना बंद करने के अपने निर्णय से अवगत करा दिया। बिजली मंत्रालय ने दिनांक 6 जून, 2016 के पत्र के जरिए पीएफसी को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) के निर्देशक मंडल ने 25 जुलाई, 2016 को हुई अपनी 46वीं बैठक में, पीएफसी और बिजली मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद, सीएसपीएल को बंद करने का अनुमोदन कर दिया। इसके बाद पीएफसी के बोर्ड ने 9 अगस्त 2016 को हुई अपनी 350वीं बैठक में सीएसपीएल को बंद करने की मंजूरी दे दी है। बिजली मंत्रालय ने अपनी मंजूरी 16 जनवरी 2017 के पत्र के माध्यम से दी है।

2 सामान्य जानकारी

(क) अनुपालन विवरण और तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और लेखांकन के संग्रहण आधार पर तैयार किए गए हैं तेथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और कम्पनी अधिनियम 2013 के व्यवहार्य प्रावधानों के अनुपालन में हैं। ये कम्पनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण हैं। इंड एएस में परिवर्तन की तिथि अप्रैल 1 2017 है।

कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी पूर्व में लागू जीएएपी की आवश्यकताओं के अनुसार की है, जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133, कम्पनी लेखांकन नियम 2014 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) शामिल है।

वित्तीय विवरण में पिछली अवधि के आंकड़े उसी लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप दिए गए हैं, जो कम्पनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाए गए हैं।

कम्पनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में हैं, जो इसकी प्रचालन मुद्रा है।

कम्पनी द्वारा प्राप्त पहली बार अनुपालन छूट का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 33 में दिया गया है।

वित्तीय विवरण में दी गई राशि (जब तक अन्यथा निर्देश न हो) 2 दशमलव अंक तक निकटतम सैकड़ा राशि में दी गई है।

(ख) आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आय, व्यय, परिसम्पत्ति और देनदारी तथा वित्तीय विवरण की तारीख पर अन्य देनदारियों से संबंधित स्पष्टीकरण को प्रभावित करने वाले, आकलन और अनुमानों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणाम आकलन से अलग हो सकते हैं। आकलनों और अनुमानों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। जिस अवधि में आकलनों में संशोधन होता है और आगे की किसी अवधि में असर पड़ने की संभावना होती है, तो लेखांकन आकलन में संशोधन किया जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) आय और व्यय का निर्धारण

आय और व्यय की गणना प्रोदभूत आधार पर की जाती है (निम्नलिखित को छोड़ कर)

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए परामर्शी और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए पीएफसी/पीएफसीसीएल को भुगतान योग्य शुल्क, सफल नीलानीकर्ता को कम्पनी के स्थानांतरण के वर्ष में दर्शायी गई है।

(ख) उधारी लागत

अधिग्रहण, अचल परिसम्पत्तियों के निर्माण को, जो अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं, इन परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में रखा जाता है, उस सीमा तक जब तक ये उपयोग में आने के लिए तैयार नहीं हो जातीं।

अन्य उधारी लागत उस वर्ष के हानि लाभ विवरण में डाली जाती हैं, जिनमें वे ली गई हैं।

(ग) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/क्षति/ब्याज आदि पर होने वाला व्यय तथा निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्यय जारी पूंजीगत कार्य में आते हैं।

(घ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा क्षति

(I) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद लागत से संचित क्षति को कम कर दिया गया है, अचल परिसम्पत्ति को उपयोग लायक बनाने में किए गए व्यय सहित सभी व्यय को पूंजी में दर्शाया गया है।

(II) किराए और खरीद समझौते के तहत ली गई सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण जैसी वस्तुएं अपनी लागत पर पूंजी में लगाई गई हैं, ऐसी परिसम्पत्तियों का कानूनी स्वामित्व कम्पनी के पास नहीं होने के बावजूद। ऐसे समझौतों के तहत भुगतान योग्य ब्याज बकाया होने पर लाभ हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

(III) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण पर क्षति, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद ii में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन और गिरते मूल्य के आधार पर लिखित ह्रास मूल्य वृद्धि से दी गई है। 5000 रुपये मूल्य से कम की परिसम्पत्तियों को वर्ष की खरीद से हटा दिया गयाहै।

इंड एएस वैकल्पिक छूट

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश सम्पत्ति और अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों के लिए डीम्ड लागत

इंड एएस 101, देयताओं को रोकने के लिए आवश्यक समायोजन के बाद, वित्तीय विवरणों में इंड एएस में परिवर्तन की तिथि से अपनी सभी परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के, पूर्व जीएएपी के अनुरूप मापे गए मौजूदा मूल्य को बनाए रखने और उसे डीम्ड लागत के रूप में उपयोग करने के चयन के लिए पहली बार एडॉप्टर की अनुमति देता है। यह छूट इंड एएस 38 अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों के दायरे में आने वाली परिसम्पततियों और इंड एएस 40 निवेश सम्पत्तियों के दायरे में आने वाली निवेश सम्पत्तियों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है। इसके अनुसार कम्पनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों के मापन के लिए पूर्व जीएएपी मूल्य का चयन किया है।

(e) अवधि पूर्व व्यय

महत्वपूर्ण अवधि पूर्व त्रुटियों को त्रुटि होने वाली अवधि में दी गई तुलनात्मक राशि उसी अवधि से जोड़ कर संशोधित किया जाता है। यदि यह त्रुटि प्रस्तुत की गई सर्वाधिक पूर्व अवधि से भी पहले की है, तो परिसम्पत्तियों का आरंभिक शेष, देनदारियां और प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के लिए देनदारियां और इक्विटी फिर से बहाल कर ली जाती हैं।

(f) नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में उपलब्ध राशि और जमा राशि शामिल है। कम्पनी लघु अवधि के सभी अधिशेष (अधिग्रहण से तीन महीने या कम की परिपक्वता अवधि के), अत्यधिक तरलता वाले निवेश, जो नकद राशि में तुरंत बदलने योग्य हों और जिनके लिए मूल्य में परिवर्तन का जोखिम महत्वहीन हो, को नकदी तुल्य मानती है।

(g) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) गैर नकदी प्रवृत्ति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या वर्तमान की नकद प्राप्ति या भुगतान के संग्रहण या आस्थगित अदायगी के लिए समायोजित किया जाता है। कम्पनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग कर दिया जाता है।

(h) कराधान

आयकर व्यय में मौजूदा और आस्थगित कर भुगतान आता है। इसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जब यह किसी ऐसी वस्तु से जुड़ा हो, जिसे इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दिखाया गया हो। इस स्थिति में कर भी इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दर्शाया जाएगा।

मौजूदा कर उस वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है, जिस पर तथा पिछले वर्ष के भुगतान योग्य कर के किसी समायोजन पर रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य कर दरें या मूल रूप से लागू कर दरें प्रभावी होती हैं।

आस्थगित कर भुगतान का निर्धारण वित्तीय विवरण में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की राशि तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर पर किया जाता है। आस्थगित कर भुगतान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कानूनों या मूल रूप से लागू कानून पर आधारित कर दरों से की जाती है। आस्थगित भुगतान कर परिसम्पत्तियां और देनदारियां समायोजन योग्य हैं, यदि मौजूदा कर देनदारियां और परिसम्पत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार हो और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

घटाने योग्य सभी अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर भुगतान उस सीमा तक प्रभावी माना जाएगा, जहां तक कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, जिसके लिए इस अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर भुगतान परिसम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है, जिससे संबंधित कर लाभ का अनुमान न रहे।

बकाया कर परिसम्पत्तियों की मौजूदा राशि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है, कि इस बात की संभावना न रहे कि परिसम्पत्ति के सभी भागों की वसूली के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होगा।

(i) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

i. यदि कम्पनी की मौजूदा देयताएं (कानूनी या तर्कसंगत) किसी पिछले कारण से हो, और इस बात की संभावना हो कि कम्पनी को इस देनदारी का समाधान करना होगा और देनदारी की राशि का विश्वसनीय आकलन करना होगा, तो संबंधित प्रावधान लागू होंगे। प्रावधान के रूप में तय की गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तमाम जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा देनदारी के समाधान पर विचार के लिए सर्वोत्तम आकलन होगी। यदि किसी प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक सभी या कुछ आर्थिक लाभ किसी तीसरी पार्टी से रिकवर किए जाने की आशा हो, तो प्राप्ति परिसम्पत्ति मानी जाएगी, यदि यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और इससे संबंधित राशि का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा।

ii. जहां इस बात की संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बहिर्गमन आवश्यक होगा, या राशि का विश्वसनीय आकलन संभव नहीं होगा, तो देनदारी आकस्मिक देयता के रूप में रखी जाएगी, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की संभावना न के बराबर न हो।

iii. आपात परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में नहीं दर्शाया गया है। बल्कि इन्हें वहां दिखलाया गया है, जब आर्थिक लाभ के अंतरप्रवाह की संभावना हो।

iv. प्रत्येक तुलनपत्रक तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधन आकलन को स्पष्ट करने के लिए समायोजित किया जाता है।

(j) वित्तीय उपाय

वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों की गणना तब होती है, जब कम्पनी वित्तीय प्रबंधों के अनुबंध प्रावधानों का एक पक्ष हो। आरंभ में वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की गणना इनके अधिग्रहण या इन्हें जारी करने से संबंधित समुचित मूल्य से लेनदेन लागत के जोड़/घटाव के अनुरूप की जाती है। यदि वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य से आंका जाता है, तो इसे लाभ और हानि विवरण में लेनदेन की लागत माना जाएगा।

J.1 वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी सामान्य खरीद या बिक्री समायोजन तिथि के आधार पर मान्य और अमान्य होगी।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर इन परिसम्पत्तियों का आकलन उनकी परिशोधन लागत या उचित मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

i) **वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी उपायों को छोड़ कर)**

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों :

वित्तीय परिसम्पत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उनका मापन परिशोधित लागत पर प्रबावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग कर किया जाता है। :

• परिसम्पत्ति ऐसे कारोबारी माडल में आती हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए परिसम्पत्तियों को रखा हो ; और

• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हैं।

ख) अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीओसीआई पर तभी किया जाताहै, जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों :

• कारोबारी माडल का लक्ष्य अनुबंधगत नकद प्रवाह संग्रहण और वित्तीय परिसम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त होता हो ; और

•परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हैं।

ग)लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियां (एफवीटीपीएल)

एक वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीपीएल पर तभी होता है, जब यह परिशोधितलागत या एफवीटीओसीआई पर मापी गई हों, लाभ और हानि विवरण में दर्शाए गए उचित मूल्य में समस्त बदलावों के साथ।

ii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति**

क) कम्पनी परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) का निर्धारण करती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल, ऋण परिसम्पत्तियों के अलावा, कुल अवधि के दौरान, अनुमानित हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ईसीएल के मापन के लिए अनिवार्यताएं समान रूप से ऋण (एफवीटीओसीआई) परिसम्पत्ति पर लागू होती है, केवल उस स्थिति को छोड़ कर जब ईसीएल अन्य व्यापक आय में न जोड़ी जाए और तुलनपत्रक में शेष राशि से न घटाई जाए।

ख) ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं : यदि क्रेडिट क्षति हुई हो या आरंभिक अनुमान की तुलना में जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, तो कम्पनी ऋण परिसम्पत्तियों पर ईसीएल का मापन लाइफ टाइम ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। यदि आरंभिक अनुमान की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कम्पनी ईसीएल का मापन 12 महीने के ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। आरंभिक आकलन के बाद से एसआईसीआर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कम्पनी तर्कसंगत और सहयोगी सूचनाओं पर विचार करती है जो बिना किसी लागत या प्रयास के उपलब्ध है। यदि कम्पनी हानि का मापन पूर्व अवधि में लाइफटाइम ईसीएल के रूप में करती है, लेकिन बाद की अवधि में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण निश्चित करती है कि आरंभिक अनुमान से कोई एसआईसीआर नहीं रहा है, तो कम्पनी फिर से 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन करती है। क्रेडिट क्षति वाली ऋण परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल का मापन व्यक्तिगत आधार पर होता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए यह आमतौर पर सामूहिक आधार किया जाता है।

ग) क्षति के कारण होने वाला नुकसान और रिवर्सल लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है।

iii) वित्तीय परिसम्पत्तियों को अमान्य करना

कम्पनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को तब अमान्य करती है, जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंधगत अधिकार की अवधि समाप्त हो जाती है या जब कम्पनी किसी दूसरी पार्टी को वित्तीय परिसम्पत्ति, स्वामित्व और इससे संबंधित जोखिम हस्तांतरित कर देती है।

वित्तीय परिसम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने पर, परिसम्पत्ति की मौजूदा राशि तथा प्राप्त और प्राप्ति योग्य राशि का जोड़ जिसे अन्य व्यापक आय में दिखाए गया था और इक्विटी में जमा लाभ या हानि का अंतर लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है, यदि ऐसे लाभ या हानि को वित्तीय परिसम्पत्ति समाप्त किए जाने समय लाभ हानि विवरण में न दर्शाया गया हो।

j.2 वित्तीय देयताएं

i) डेरिव्हेटिव्स और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के अलावा सभी वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय देयता की आरंभिक पहचान पर किया जाता है। इसे संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संबंधित पुनः निर्धारण तिथि पर अद्यतन किया जाता है।

ii) वित्तीय देयताओं को अमान्य करना

कम्पनी वित्तीय देयताओं को तभी और केवल तभी अमान्य करती है, जब कम्पनी के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, वे रद्द हो जाते हैं या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। अमान्य की गई वित्तीय देयताओं की राशि और भुगतान की गई तथा भुगतान किए जाने योग्य राशि का अंतर लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(k) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर प्राथमिक आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या मूल्य से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना टैक्स के बाद लाभ को प्रति शेयर प्राथमिक आय की गणना के उद्देश्य से लिए गए इक्विटी शेयरों के औसत संख्या मूल्य और सभी संभावित शेयरों, जिन्हें जारी किया जा सकता था, के औसत संख्या मूल्य से भाग देकर की जाती है।

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड
सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)
31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

4. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹सौ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
निम्नलिखित में मौजूदा राशि:			
फर्नीचर और फिक्सचर			-
ईडीपी उपकरण			-
कार्यालय और अन्य उपकरण			547.55
			547.55

संचित क्षति

विवरण	**फर्नीचर और फिक्सचर**	**ईडीपी उपकरण**	**कार्यालय और अन्य उपकर ण**
लागत और डीम्ड लागत पर			
01 अप्रैल 2017 को शेष	-	-	6,559.36
अतिरिक्त	-	-	-
निपटाया गया	-	-	-
31 मार्च 2018 को शेष	-	-	6,559.36
31 मार्च 2018 को शेष	-	-	6,559.36

अतिरिक्त	-	-	-
निपटाया गया	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष	-	-	6,559.36

विवरण	**फर्नीचर एंड फिक्शचर**	**ईडीपी उपकरण**	**कार्यालय और अन्य उपकरण**
लागत और डीम्ड लागत पर			
31 मार्च 2017 को शेष	-	-	-
लागत और डीम्ड लागत पर			
01 अप्रैल 2017 को शेष	-	-	6,011.81
परिसम्पत्तियों के निपटान पर हटाया गया	-	-	-
क्षति व्यय	-	-	-
31 मार्च 2018 को शेष	-	-	6,011.81
31 मार्च 2018 को शेष	-	-	6,011.81
परिसम्पत्तियों के निपटान पर हटाया गया	-	-	-
ह्रास व्यय	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष	-	-	6,011.81

5. जारी पूंजीगत कार्य

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
जारी आरंभिक पूंजीगत कार्य	-	-	6,019,149.52
जोड़ : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित	-	-	(6,019,149.52)
	-	**-**	**-**

6. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
बैंक में शेष :			
चालू खाते में	4,126.04	4,126.04	126.04
	4,126.04	**4,126.04**	**126.04**

7. अन्य परिसम्पत्तियां

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
क) एफवीटीपीएल पर मौजूदा			
पूंजी अग्रिम	2,184,217.00	2,184,217.00	2,283,499.59
स्थाई परिसम्पत्तियों से प्रप्ति योग्य (ओडिसा इंटिग्रेटिड पावर लिमिटेड)	547.55	547.55	-

अग्रिम पूंजी के अलावा अन्य अग्रिम भारत सरकार से प्राप्ति योग्य टीडीएस (आय कर रिफंड)	-	-	1.51
	2,184,764.55	2,184,764.55	2,283,501.10

8. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
समायोजित किया जाने वाला सीडब्ल्यूआईपी	-	-	6,019,149.52
	-	**-**	**6,019,149.52**

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड
(सीआईएन :यू40102डीएल2006जीओआई146111)
31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

9.इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
अधिकृत शेयर पूंजी			
50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
जारी, अभिदत्त और भुगतान की गई पूंजी में शामिल :			
50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000) पूरी तरह भुगतान किया गया	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**

(1) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**

	धारित शेयरों क संख्या	राशि	धारित शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और पाबंदियां :				
कम्पनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निर्देशक मंडल से प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर आधारित है, केवल अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़ कर। तरलता यानी नकदी प्रवाह बढ़ने की स्थिति में शेयर होल्डर सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कम्पनी की शेष परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।				
(iii) होल्डिंग कम्पनी द्वारा धारित इक्विटी सेयरों का ब्यौरा :				
विवरण		**शेयरों की संख्या**	**राशि**	

31 मार्च 2019 को								
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*					50,000	5,000.00		
31 मार्च 2018 को								
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*					50,000	5,000.00		
01 अप्रैल 2017 को								
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*					50,000	5,000.00		
(iv) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास के शेयरों का विवरण:								
विवरण	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**		**01 अप्रैल 2017 को**			
	धारित शेयरों की संख्या	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**		
पूरी तरह भुगतान किए गए इक्विटी शेयर								
होल्डिंग कम्पनी, पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%		
* इक्विटी शेयर पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड और इसके नामितियों के पास हैं								

छत्कीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड

सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)

31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

10. अन्य इक्विटी

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01अप्रैल 2017 को**
<u>**प्रतिधारित आय**</u>			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(242.19)	(242.19)	(242.19)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष +	**(242.19)**	**(242.19)**	**(242.19)**

11. उधारी (चालू देयताएं)

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
<u>**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं**</u>			
संबंधित पार्टी से ऋण और अग्रिम	924,827.58	924,749.46	873,749.88
होल्डिंग कम्पनी - पावल फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड			
<u>**दीर्घावधि उधारी की मौजूदा परिपक्वता**</u>			
अग्रिम प्रतिबद्धता			
छत्तीसगढ़ड स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं लिमिटेड	180,935.61	293,832.27	2,000,000.00
दादरा और नगर हवाली सरकार	8,554.91	11,377.32	50,000.00
दमन दीव सरकार	8,614.36	11,436.77	50,000.00

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	24,920.81	40,444.10	275,000.00
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	78,967.03	135,415.36	1,000,000.00
एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	38,454.20	62,444.74	425,000.00
मुख्य बिजली अभियंता, गोआ सरकार का कार्यालय	34,520.25	45,809.92	200,000.00
प्रोदभूत ब्याज, लेकिन संबंधित पक्ष पर बकाया नहीं (होल्डिंग कम्पमनी - पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड)	880,892.50	657,700.96	3,380,392.39
	2,180,687.24	**2,183,210.90**	**8,254,142.27**

12. अन्य वित्तीय देतयाएं (चालू)

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01अप्रैल 2017 को
मौजूदा- परिशोधित लागत पर			
भुगतान योग्य व्यय	843.75	843.75	820.31
पीएफसी कंसल्टिंग को देय	2,503.79	-	-
	3,347.54	**843.75**	**820.31**

13. अन्य चालू देयताएं

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
वैधानिक बकाया	98.00	78.13	43,603.82
	98.00	**78.13**	**43,603.82**

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड

सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

17. वित्तीय उपाय

(1) पूंजी प्रबंधन

कम्पनी अपना पूंजी प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करती है कि वह छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना के तहत 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि सहित अन्य प्रारंभिक कार्यों की वैधानिक मंजूरी से संबंधित व्यय के लिए पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। कम्पनी अपनी होल्डिंग कम्पनी पावर कार्पोरेशन से उधार ली गई राशि और अग्रिम प्रतिबद्धता के रूप में प्राप्त राशि और पावर प्रोक्योरिंग यूटिलिटीज़ (खरीदार) से अग्रिम के रूप में प्राप्त 40.00 करोड़ रुपये से परिचालन संबंधी व्यय पूरा करती है।

कम्पनी बाहर से आरोपित किसी पूंजी आवश्यकता से संबंधित नहीं है।

कम्पनी बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजी प्रबंधन की समीक्षा करता है। पूंजी की जरूरतें उधारी और अग्रिम ऋण के जरिए पूरी की जाती हैं। कोष संबंधी अनुमानित जरूरतों की पूर्ति के लिए कम्पनी की नीति लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण के उपयोग की है।

ऋण गैर-चालू और चालू उधारी के रूप में व्यक्त किया गया ह, जैसा कि टिप्पणी संख्या 11 में वर्णित है।

(i) वित्तीय उपायों की श्रेणियां

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
परिशोधित लागत पर दर्ज			
वित्तीय नकदी			
नकदी और बैंक अधिशेष	4,126.04	4,126.04	126.04
एफवीटीपीएल पर ऋण	2,184,764.55	2,184,764.55	2,283,501.10
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां			
वित्तीय देयताएं			
उधारी			8,254,142.27

	2,180,687.24	2,183,210.90	
अन्य वित्तीय देयताएं	3,347.54	843.75	820.31

(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कम्पनी की कॉर्पोरेट ट्रेजरी (कोषागार) का कार्य जोखिमों की तीव्रता और आशंकाओं का विश्लेषण कर कम्पनी की परिचालन संबंधी वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करना है। इन जोखिमों में बाजार संबंधी जोखिम, (मुद्रा संबंधी, ब्याज और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), ऋण और तरलता संबंधी जोखिम शामिल हैं।

(iii)बाजार जोखिम

कम्पनी की गतिविधियों से उसे ब्याज दरों बदलाव से वित्तीय जोखिमों की आशंका हो सकती है। (नीचे दी गई टिप्पणी vi देखें).

बाजार जोखिमों का मापन संवेदी विश्लेषण के जरिए किया जाता है।

बाजार जोखिमों के प्रति आशंका और इनके प्रबंधन और मापन के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है।.

(iv) ब्याज दर और जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के लिए ब्याज दर जोखिम की आशंका इसलिए हो सकती है, क्योंकि यह समय समय पर (ब्याज दर में उतार चढ़ाव से प्रभावित), स्टेट सेक्टर उधारीकर्ता (श्रेणी 'ए') के तहत निर्धारित ब्याज दर पर उधार लेती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों के लिए ब्याज दर से संबंधित जोखिम का विस्तृत ब्यौरा इस नोट के तरलता जोखिम प्रबंधन खंड में दिया गया है.-

(v)) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में डेरिव्हेटिव और नॉन डेरिवेटिव उपायों के लिए ब्याज दर की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है। फ्लोटिंग रेट देयताओं के लिए विश्लेषण यह मान कर किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देनदारी राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। 50 आधार अंक की वृद्धि या कमी का उपयोग तब किया जाता है, जब ब्याज दर जोखिम, आंतरिक रूप से प्रमुख प्रबंधनकर्मियों और ब्याज दरों में संभावित तर्कसंगत बदलाव के प्रबंधन के आकलन को दर्शाता है।

अन्य कारकों को स्थिर रख कर ब्याज में 100 आधार अंक के उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशीलता विशलेषण नीचे दिया गया है।

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के**	**01 अप्रैल 2017 को**

		लिए	समाप्त वर्ष के लिए
लाभ या हानि पर असर	-	-	-
अन्य व्यापक आय पर असर	-	-	-

(vi) मूल्य संबंधी अन्य जोखिम

कम्पनी मूल्य संबंधी किसी जोखिम से नहीं जुड़ी है, क्योंकि यह कोई निवेश नहीं रखती।

(vii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह जोखिम है, जब प्रतिपक्ष अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा न करे, जिससे कम्पनी को वित्तीय हानि होती हो। कम्पनी के समक्ष ऐसी आशंका बहुत ही सीमित है, क्योंकि उसे पीएफसी से राशि प्राप्त होती है, जैसा कि टिप्पणी 7 में उल्लिखित है। कम्पनी के पास व्यापार प्राप्तियां नहीं होतीं। ऋण प्राप्तियां इसकी होल्डिंग कम्पनी (पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन) के माध्यम से होती हैं। कम्पनी के बैंक अधिशेष प्रसिद्ध और विश्वसनीय बैंकिंग संस्था के पास है, जिसकी वजह से प्रतिपक्षो से जोखिम आशंका काफी सीमित है।

(viii)तरलता जोखिम प्रबंधन

कम्पनी तरलता या नकदी प्रवाह संबंधी जोखिमों का प्रबंधन पर्याप्त रिजर्व रख कर और अनुमानों तथा वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी कर और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल की तुलना कर करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2019 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराती है ;

विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
उधारी	2,180,687.24	-	-		2,180,687.24	2,180,687.24
अन्य वित्तीय देयताएं	3,347.54					

	3,347.54	-	-	-	3,347.54

यह तालिका 31 मार्च , 2018 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है ;

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
उधारी	2,183,210.90	-	-	-	2,183,210.90	2,183,210.90
अन्य वित्तीय देयताएं	843.75	843.75	-	-	-	843.75

यह तालिका 1 अप्रैल , 2017 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है;

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
उधारी	8,254,142.27	-	-	-	8,254,142.27	8,254,142.27
अन्य वित्तीय देयताएं	820.31	820.31	-	-	-	820.31

यह तालिका 31 मार्च , 2019 को वित्तीय परिसम्पत्तियो की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है :

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,184,764.55	2,184,764.55	-	-	-	2,184,764.55

यह तालिका 31 मार्च , 2018 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है :

विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,184,764.55	2,184,764.55	-	-	-	2,184,764.55

यह तालिका 01 अप्रैल, 2017 को वित्तीय सम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है :

विवरण	मौजूदा राशि	01 वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,283,501.10	2,283,501.10	-	-	-	2,283,501.10

(xi) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मुल्य

विवरण	उचित मूल्य अनुक्रम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		01 अप्रैल 2017 को	
		मोजूदा राशि	उचित मूल्य	मौजूदा राशि	उचित मूल्य	मौजूदा राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां							
नकदी और नकदी समतुल्य	Level 2	4,126.04	4,126.04	4,126.04	4,126.04	126.04	126.04
ऋण	Level 2	-	-	-	-	-	-

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	Level 2	2,184,764.55	2,184,764.55	2,184,764.55	2,184,764.55	2,283,501.10	2,283,501.10
वित्तीय देयताएं							
उधारी	Level 2	2,180,687.24	2,180,687.24	2,183,210.90	2,183,210.90	8,254,142.27	8,254,142.27
अन्य वित्तीय देयताएँ	Level 3	3,347.54	3,347.54	843.75	843.75	820.31	820.31

वित्तीय विवरणों में मौजूदा राशि के लगभग वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य दर्शाया गया है। वर्ष में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की मौजूदा राशि का मापन इंड एएस में परिशोधित लागत पर किया गया है। यह मापन उनके उचित मूल्य के लगभग निकट है, क्योंकि कम्पनी यह नहीं मानती कि मौजूदा मूल्य और संभावित प्राप्ति या तय मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर होगा।

18.संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

18.1. संबंधित पक्षों के नाम और संबंध का विवरण:

क्र सं.	**संबंधित पार्टी का नाम**	**संबंध का प्रकार**
1	पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
3	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
4	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
5	ओडिसा इंटिग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
6	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
7	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
8	तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
10	चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
11	ओडिसा इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
12	देवघर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी

13	बिहार इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
14	बिहार मेगापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
15	साखीगोपाल इंटिग्रेटिड पावर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
16	घोगरपल्ली इंटिग्रेटिड पावर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
19	महिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
21	शोगटोंग कर्चम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
22	बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
23	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
24	लाकड़िया-विदर्भ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
25	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
26	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम

27	फतेहगढ़-II ट्रांसको लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम

कम्पनी के मुख्य प्रबंधनकर्मी होल्डिंग कम्पनी पीएफसी के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं।

क्र सं	**नाम**	**पद**	**नियुक्ति की तिथि**	**Date of Cessation**
1	श्री सी गंगोपाध्याय	अध्यक्ष	30.01.2017	Continuing
2	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	17.02.2010	Continuing
3	श्री एस मूलचंदानी	निदेशक	21.09.2016	Continuing
4	श्री आलोक सूद	निदेशक	25.05.2017	Continuing
5	श्री सतीश वी चव्हाण*	मनोनीत निदेशक	05.02.2018	Continuing

18.2. संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेषः :

18.2.1. संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन :

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
– ऋण और ब्याज व्यय (पीएफसी) पीएफसीसीईएल को देय	1,805,720.08 2,503.79	######### -

18.2.2. संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेष:

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
-			
पीएफसीसीएल को देय	2,503.79	-	-
उधार दिया	924,827.58	924,749.46	873,749.88
प्राप्ति योग्य ब्याज/संचित लेकिन बकाया नहीं	880,892.50	657,700.96	3,380,392.39
ओआईपीएल से प्राप्ति योग्य	547.55	547.55	-

प्रमुख प्रबंधकर्मियों का मुआवज़ा :

कम्पनी में कर्मचारी होल्डिंग कम्पनी (पीएफसी) के साथ समझौते के अनुरूप अनुबंध शर्तों पर हैं। निर्देशकों को किसी सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरगूजा पावर लिमिटेड						
सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई146111)						
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां						
19.चूंकि बिजली मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कम्पनी को बंद किया जाना है, वित्तीय विवरण जारी कार्यों के आधार पर नहीं किए गए हैं। इसके अनुसार परिसम्पत्तियों और देनदारियों को इस आधार पर दर्ज किया गया है कि कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों की पहचान में सक्षम होगी और अपनी देयताएं व्यवसाय के सामान्य क्रम में पूरा करेगी। इस संबंध में कम्पनी बोर्ड द्वारा तय किया गया कि कम्पनी को शुरु किए जाने की तिथि से प्रतिबद्धता अग्रिम के प्रयुक्त भाग पर ब्याज देयता को सीडब्ल्यूआईपी से रिवर्स किए जाने की आवश्यकता है और सीडब्ल्यूआईपी की शेष राशि परियोजना में सेवा केंद्रों को आवंटित बिजली के भाग के अनुपात में लगाई गई अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए समायोजित कर दी जाएगी। और समायोजन के बाद अधिशेष संबंधित सेवा केंद्रों को, संबंधित खरीदारों से पुष्टि के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। वर्ष के दौरान किया गया व्यय (टिप्पणी 14) भी सेवा केंद्रों द्वारा परियोजना में आवंटित उनके बिजली हिस्से के अनुपात में अग्रिम प्रतिबद्धता योगदान के लिए समायोजित कर दिया गया है।						
20. पीएफसी लिमिटेड के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार खरीदारों से प्राप्त 40,00,000.00/- (सौ में) की कुल अग्रिम प्रतिबद्धता होल्डिंग कम्पनी पीएफसी लिमिटेड को, कम्पनी की ओर से परियोजना के लिए हुए व्यय के भुगतान के लिए, दे दी गई थी।						
21. कम्पनी छत्तीसगढ़ सरकार को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते 22,83,499.59/- (सौ में) की राशि अग्रिम के रूप में दे चुकी है। हालांकि कम्पनी को बंद किए जाने के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार से उक्त राशि ब्याज सहित लौटाने का अनुरोध किया गया है। ब्याज के साथ यह कुल राशि 35,05,994.41/- (सौ में) होती है। ब्याज का हिस्सा वित्तीय विवरण में नहीं लिया गया है, क्योंकि कम्पनी को अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार से इसकी पुष्टि प्राप्त करनी है। अग्रिम राशि लघु अवधि ऋण और अग्रिम के रूप में वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है।						

22. कम्पनी पीएफसी लिमिटेड को यह व्यय के लिए कम्पनी की ओर से खरीदारों को भी अग्रिम प्रतिबद्धता पर होल्डिंग कम्पनी की नीति के अनुसार तय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। उपलब्ध कोष प्रयुक्त और अप्रयुक्त राशि में बांट दिया जाता है। कोष की प्रयुक्त राशि पर प्रभारित ब्याज दर पीएफसी लिमिटेड में परियोजना/योजना ऋण के लिए स्टेट सेक्टर उधारीकर्ता (श्रेणी ए) के तहत समय समय पर व्यवहार्य दर के अनुसार होती है। कोष के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज पीएफसी लिमिटेड से प्राप्ति योग्य है और इसका भुगतान खरीदारों को किया जाना है। प्रयुक्त भाग पर ब्याज के रूप में 2,23,39,0.21/- (सौ) का ब्याज व्यय, पिछले वर्ष 1,94,61,4.52/- सौ में) का भुगतान किया गया। इसमें 2,23,19,1.53/- सौ में,(पिछले वर्ष 1,94,61,4.52/- सौ में) पीएफसी लिमिटेड को भुगतान योग्य था। उनके द्वारा खर्च की गई राशि पर भुगतान योग्य ब्याज प्रतिबद्धता अग्रिम शेष के साथ समायोजित किया गया है।

23. कम्पनी के लिए समस्त कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किए जाते हैं। पीएफसीसीएल द्वारा दिए गए इनवायस के अनुसार कम्पनी के लिए कर्मचारियों द्वारा दिए गए वास्तविक कार्य दिवस के अनुपात में पीएफसीसीएल द्वारा निर्धारित आधार/दर पर मानव श्रम लागत के लिए व्यय शून्य (सौ में) रहा, पिछले वर्ष भी यह शून्य (सौ में) था।

24. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय के इन कम्पनियों के आकलन के अनुसार पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा व्यय का आवंटन विशेष प्रयोजन माध्यमों को किया गया है। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम में है और उनकी प्रतियां कम्पनी के पास उपलब्ध हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल स्रोत पर कर कटौती और माल और सेवा कर के संबंध में इन व्यय पर लागू होने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

25. पूंजी में लगाए जाने के लिए आवश्यक समस्त व्यय के साथ निर्माण अवधि के दौरान व्यय का आकलन कर लिया गया है और इसे 31 मार्च 2017 तक किए गए व्यय के लिए जारी पूंजीगत कार्यों में शामिल किया गया है। चूंकि कम्पनी को बंद करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए वर्ष के दौरान हुआ व्यय खरीदारों से प्राप्ति योग्य व्यय के रूप में दिखाया गया है और इसे अग्रिम प्रतिबद्धता और शेष के साथ समायोजित कर लिया गया है।

26. चूंकि कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए इंड एएस 19 संबंधी दायित्व का सवाल नहीं उठता।

27. प्रतिबद्धताएं :						

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**	
(क) पूंजी खाते पर लागू नहीं किए गए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, और (निवल अग्रिम) के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया :	-	-	-	
अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-	-	
28. आपात देयताएं और आपात परिसम्पत्तियां				
विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**	
कम्पनी की आपात देयताएं और कम्पनी के खिलाफ दावे, जिन्हें उक्त अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा नहीं दर्शाया गया है।	-	-	-	
कम्पनी के पास अन्य कोई आकस्मिक परिसम्पत्ति और आकस्मिक लाभ की संभावना नहीं है	-	-	-	
29. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बकाया संबंधी विवरण, कम्पनी से उपलब्ध सूचना के आधार पर :				
विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**	

क) मूल राशि और आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किए जाने पर लेखा अवधि के अंत में बकाया ब्याज			-	-	-	
ख) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 16 की शर्तों के अनुरूप खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, लेखा अवधि के दौरान निर्धारित तिथि से इतर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथd			-	-	-	
ग) ब्याज की बकाया और विलम्ब की अवधि के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, (जिसका भुगतान हो चुका है लेकिन अवधि के दौरान निर्धारित तिथि पर नहीं हुआ है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर।			-	-	-	
घ) ब्याज की प्रोदभूत और लेखाएवधि के अंत में भुगतान नहीं की गई राशि			-	-	-	
ङ) आगे बकाया रह गए और बाद के वर्षों में भी उस तिथि तक भुगतान किए जाने वाले बकाया ब्याज की राशि जब तक कि यह बकाया ब्याज लघु उद्यम को, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 23 के तहत घटाए जाने वाले व्यय पर रोक के उद्देश्य से, चुका नहीं दिया जाता			-	-	-	
30.लेखाकार का पारिश्रमिक					**(₹ सौ में)**	
विवरण				**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष**	

				लिए	**के लिए**	
वैधानिक लेखा परीक्षण				922	922	
31. खंड संबंधी जानकारी						
कम्पनी का निदेशक मंडल, जो मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (डीओडीएम) माना गया है, कम्पनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, कम्पनी के विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। कम्पनी का मुख्य लक्ष्य बिजली उत्पादन है और यह फिलहाल बिजली संयंत्र स्थापित करने में लगी है और कम्पनी की समस्त गतिविधियां एकल इकाई होने के कारण इसके इर्दगिर्द हैं। इसके अलावा कोई अन्य भौगोलिक खंड नहीं हैं क्योंकि कम्पनी की समस्त गतिविधियां भारत में हैं। इसीलिए इंड एएस 108 'परिचालन खंडों' की आवश्यकता अनुसार कम्पनी के लिए अलग रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।						
32. अन्य स्पष्टीकरण :						
(क) विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य						
(ख) विदेशी मुद्रा में आय - शून्य						
33. इंड एएस में स्थानांतरण की तिथि पर कम्पनी ने पूर्व के जीएएपी के अनुरूप सीडब्ल्यूआईपी के मौजूदा मूल्य पर इंड एएस 101 के अनुसार डीम्ड लागत के रूप में विचार किया है।						
34. कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, पूर्व में व्यवहार्य जीएएपी की आवश्यकता के अनुरूप, जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 133, कम्पनी लेखांकन नियम 2014 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) शामिल हैं। वित्तीय विवरण में दर्शाई गई पूर्व अवधि उसी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दी गई है, जिनका उपयोग कम्पनी का पहला इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में किया गया है।						
35. पहली बार इंड एएस अपनाने संबंधी मिलान						
35.1 31 मार्च 2018 और 01 अप्रैल 2017 को तुलनपत्रक में इंड एएस अपनाने संबंधी प्रभाव						

विवरण	**01 अप्रैल 17**			**31 मार्च 2018**		
	पिछला जीएएपी	**समायोजन**	**इंड एएस**	**पिछला जीएएपी**	**समायोजन**	**इंड एएस**
परिसम्पत्तियां						
गैर चालू परिसम्पत्तियां						
क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरअ	547.55	-	547.55	-	-	-
(ख)जारी पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां	547.55	-	547.55	-	-	2,184,764.55
चालू परिसम्पत्तियां						
(क)वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	126.04	-	126.04	4,126.04	-	4,126.04
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			-			-
(i) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,283,501.10	-	2,283,501.10	2,184,764.55	-	2,184,764.55
(ख) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	6,019,149.52	-	6,019,149.52	-	-	-

कुल चालू परिसम्पत्तियां	**8,302,776.66**	-	8,302,776.66	2,188,890.59	-	2,188,890.59
कुल परिसम्पत्तियां	**8,303,324.21**	**-**	**8,303,324.21**	**2,188,890.59**	**-**	**2,188,890.59**
इक्विटी और देयताएं						
इक्विटी						
(क)इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(ख)अन्य इक्विटी	(242.19)	-	(242.19)	(242.19)	-	(242.19)
Total equity	4,757.81	-	4,757.81	4,757.81	-	4,757.81
चालू इक्विटी						
() वित्तीय देयताएं						
(i) उधारी	8,254,142.27	-	8,254,142.27	2,183,210.90	-	2,183,210.90
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	820.31	-	820.31	843.75	-	843.75
(i)अन्य वित्तीय देयताएं	43,603.82	-	43,603.82	78.13	-	78.13
चालू वित्तीय देयताएं	8,298,566.40	-	8,298,566.40	2,184,132.78	-	2,184,132.78
कुल इक्विटी और देयताएं						

	8,303,324.21	**-**	**8,303,324.21**	**2,188,890.59**	**-**	**2,188,890.59**
35.2 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवण पर इंड एएस अपनाए जाने का प्रभाव						
विवरण		**पिछला जीएएपी**	**समाचोजन**	**इंड एएस**		
परिचालन से आय		-	-	-		
अन्य आय		-	-	-		
कुल आय (I)		**-**	**-**	**-**		
व्यय						
अन्य व्यय		-	-	-		
कुल व्यय ((II)		**-**	**-**	**-**		
कर पूर्व (I-II) लाभ/(हानि)		**-**	**-**	**-**		
कर व्यय:						
(1) चालू कर		-	-	-		
(2) बकाया कर		-	-	-		
कुल कर व्यय		**-**	**-**	**-**		

अवधि के लिए लाभ/(हानि)		-	-	-		
35.3 31 मार्च 2018 और 01 अप्रैल 2017 को अन्य इक्विटी पर इंड एएस अपनाए जाने का प्रभाव						
विवरण		**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**			
आईजीएपीपी के तहत रिपोर्टिड अन्य इक्विटी		(242.19)	(242.19)			
बदलाव की तिथि पर इक्विटी में गिरावट						
अन्य समायोजन						
इक्विटी पर कुल प्रभाव		-	-			
इंड एएस के तहत रिपोर्टिड अन्य इक्विटी		(242.19)	(242.19)			
35.4 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस अपनाए जाने का प्रभाव						
Particulars			**पिछला जीएएपी**	**समायोजन**	**इंड एएस**	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			6,074,383.82	-	6,074,383.82	

निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह			-	-	-	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी अमतरप्रवाह			(6,070,383.82)	-	(6,070,383.82)	
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी			**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	
जोड़ : वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य			126.04	-	126.04	
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य			4,126.04	-	4,126.04	
36.वित्तीय विवरणों का अनुमोदन						
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए और ------------- को जारी करने के लिए अधिकृत किए गए						
कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से						
योगेश जुनेजा **आलोक सूद** **नवीन भूषण गुप्ता**						
निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**						

DIN:02913155		**DIN:02394376**		**DIN:00530741**		
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार						
लूथरा एंड लूथरा आईआईपी						
(सनदी लेखाकार)						
कम्पनी पंजीकरण सं : 002081N/N500092						
नीलेश मेहता						
साझेदार						
सदस्यता सं. 093847						
स्थान : नई दिल्ली						
दिनांक :						